

रंगा पुत्र श्रीया जाति मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगपुर सिटी।
बनाम

—अपीलार्थी

सरकार
जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील तलावड़ा

— रेस्पोज़ण्डेंटस

निर्णय

दिनांक- 11/02/2017

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा मिसल संख्या 616/14 में पारित निर्णय दिनांक 05/11/15 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम रामगढ मुराडा के खसरा नं० 2 रकबा 0.10 है० किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने व पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/05/2015 के अनुसरण में अतिक्रमी द्वारा उक्त वाद आराजीयात से कब्जा नहीं हटाने के कारण भूमि बेदखल किये जाने, अर्धदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझौते की भावन से यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। वकील अपीलान्त उप० एवं रेस्पोज़ण्डेंटस की और से परोकार सरकार उपस्थित। सुलह समझौते के तहत उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने दौराने सुनवाई कथन किया कि धारा 91 एल आर एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने के उपरांत ही सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जा सकता है, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिससे अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होता हों एवं उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्त का कोई अतिक्रमण हों। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05/11/15 निरस्त फरमाने का श्रम करे।

विद्वान राजकीय परोकार ने दौराने सुनवाई निवेदन किया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा अतिक्रमी द्वारा वाद आराजीयात पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर ही उक्त निर्णय सुनाया गया है। अतिक्रमी का उक्त वाद आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अतिक्रमी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05/11/2015 यथावत रखा जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी व परोकार राज की सुनवाई सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त का वाद आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व अतिक्रमण संबंधित कोई रिपोर्ट व निर्णय संलग्न नहीं है। पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 22/12/2016 के अनुसार अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में भी कब्जा है। लेकिन वकील अपीलान्त ने दौराने बहस अवगत कराया कि वर्तमान में अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है। चुकि प्रकरण लोक भावना से राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया है एवं पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट एक माह से अधिक पुरानी है। जिससे अपीलान्त का वर्तमान में उक्त आराजीयात पर कब्जा है या नहीं स्पष्ट नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण पाया जावे एवं अपीलार्थी को उक्त आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण हो तो अपीलार्थी के विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को यथावत रखा जावे और यदि वर्तमान में अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा को निरस्त समझे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम मोहन शर्मा)

सदस्य

(भगवत सिंह देवल)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,